प्रशिक्षण मॉड्यूल

लैंगिक भेदभाव और महिला हिंसा की रोकथाम में आशा, ए.एन.एम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका

स म र्थ न

UNFPA

प्रशिक्षण की रूपरेखा

सत्र	समय	विषय वस्तु	आवश्यक सामग्री	अपेक्षित परिणाम
सत्र.1	45 मिनिट	परिचय एवं प्रशिक्षण उद्देश्य	चार्ट पेपर, मार्कर, सामाजिक बदलावकारी गीत का गान	● प्रतिभागी एक दूसरे को जान और समझ पायेंगे। ● प्रतिभागियों में झिझक दूर होगी और प्रशिक्षण में खुलकर भाग ले सकेंगे। ● प्रशिक्षण के उद्देश्यों से अवगत हो पायेंगे।
सत्र.2	90 मिनिट	जेंडर और जीवन चक्र के दृष्टिकोण को समझना	चार्ट पेपर, मार्कर	● पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव और भेदभाव से पैदा होने वाली गैर बराबरी के बारे में जान सकेंगे। ● जेंडर पूर्वाग्रह और रूढ़ियां महिलाओं और पुरुषों के लिए हानिकारक हैं और दोनों के व्यवहार को सीमित करती है समझ पायेंगे।
सत्र.3	75 मिनिट	महिला हिंसा के विभिन्न रूप	चार्ट पेपर, मार्कर, केस स्टेडी	● महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा के विभिन्न रूपों के बारें में जान पायेंगे।
सत्र.4	60 मिनिट	महिला हिंसा के प्रभाव	चार्ट पेपर, मार्कर	● हिंसा के कारण महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जान सकेंगे।
सत्र.5	60 मिनिट	हिंसा ग्रसित महिला की पहचान और परामर्श सावधानियां	चार्ट पेपर, मार्कर	● हिंसा ग्रसित महिला की पहचान कैसे करें, जान पायेंगे। ● हिंसा पीड़ित महिला को परामर्श देते समय रखी जाने वाली सावधानियों से अवगत हो पायेंगे।
सत्र.6	60 मिनिट	लैंगिक भेदभाव व महिला हिंसा की रोकथाम में आशा, एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका	चार्ट पेपर, मार्कर	● लैंगिक भेदभाव व महिला हिंसा की रोकथाम में स्वयं की भूमिका से अवगत हो सकेंगे। ● महिला हिंसा के समाधान व सहयोग के चरणों के बारे में जान पायेंगे।

मॉड्यूल के बारे में

यह मॉड्यूल महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव और हिंसा की रोकथाम में आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमतावृद्धि हेतु तैयार किया गया है। ग्रामीण स्तर पर ये तीनों जमीनी कार्यकर्ता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं और किशोरियों के सीधे संपर्क में रहती हैं। समाज में इन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और इनके द्वारा कही गई बातों को लोग ध्यानपूर्वक सुनते और मानते भी हैं। लैंगिक भेदभाव और हिंसा से पीड़ित महिलायें और लड़कियां जो बात किसी से साझा नहीं कर सकती इन्हें बता सकती हैं। आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पीड़ित महिलाओं और लड़कियों की समस्या समाधान हेतु उचित जानकारी प्रदान करने, विवाद की स्थिति में सुलह कराने या हिंसा और भेद–भाव की शिकायत करने में आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। आशा है, इस प्रशिक्षण में शामिल की गई विषय वस्तु आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये उपयोगी होगी और इस प्रशिक्षण के बाद लैंगिक समानता और महिला हिंसा की रोकथाम हेतु उनके द्वारा किये जा रहे प्रयासों को एक नई दिशा मिलेगी।

सहजकर्ताओं के लिये मार्गदर्शी बिन्दु

- सहजकर्ता प्रशिक्षण से पूर्व मॉडयूल में दी गई विषय–वस्तु और सत्र संचालन प्रक्रिया का ठीक से अध्ययन कर लें।
- प्रशिक्षण से एक दिन पहले सभी जरूरी सामग्रियों की सूची तैयार कर लें तथा इन्हें साथ ले जाना न भूलें।
- यदि प्रशिक्षण में वीडियो दिखाना है तो, पहले से डाउनलोड करके रखें।
- प्रशिक्षण के दौरान सहभागियों की प्रतिक्रिया और विचारों का सम्मान करें तथा किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी न करें ।
- चर्चा को विषय पर केन्द्रित रखें तथा सहभागी बनायें।
- निर्धारित समय से पहले प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचें, ताकि व्यवस्था में कोई कमी हो तो उसे पूरा किया जा सके।
- यदि मॉडयूल में दी गई विषय–वस्तु को समझने में किसी प्रकार की परेशानी या संशय की स्थिति हो तो वरिष्ठ साथियों की मदद लें।
- प्रशिक्षण के मूल्यांकन हेतु मॉड्यूल के अंत में दी गई प्री एण्ड पोस्ट प्रश्नावली को प्रतिभागियों से अवश्य भरवायें।

सत्र – 1

परिचय एवं प्रशिक्षण का उद्देश्य

समयावधि : 45 मिनिट

सत्र का उद्देश्य

- प्रतिभागियों को एक दूसरे के बारे में जानने और समझने में सक्षम बनाना।
- प्रतिभागियों की झिझक दूर कर प्रशिक्षण हेतु समभागी वातावरण का निर्माण करना।
- प्रशिक्षण के उद्देश्यों से अवगत कराना।

सत्र संचालन प्रक्रिया

स्वागत एवं सामूहिक गीत का गायन

सहजकर्ता प्रशिक्षण में शामिल सभी प्रतिभागियों का स्वागत करें और एक या दो प्रतिभागी को सामूहिक गीत का गायन कराने के लिये आमंत्रित करें। यदि कोई भी प्रतिभागी इसके लिये आगे नहीं आता है तो सहजकर्ता स्वयं गीत का गायन कर सभी प्रतिभागियों को दोहराने के लिये कहें। सामूहिक गान से प्रशिक्षण हेतु सामूहिकता का माहौल तैयार होगा साथ ही किसी प्रतिभागी को आने में यदि देरी हो गई हो तो उसे भी पहुंचने के लिये समय मिल जायेगा।

प्रतिभागियों का परिचय

प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों के परिचय के लिये अनेक विधियां अपनायी जाती हैं। यहां पर एक विधि का उल्लेख यहां किया जा रहा है। सहजकर्ता चाहें तो अन्य विधि प्रयोग में ला सकते हैं। हर प्रतिभागी को किसी ऐसे साथी के साथ जोड़ी बनाने के लिये कहें जिसे वे पहले से जानते न हों। प्रत्येक जोड़ी को एक–दूसरे के बारे में निम्न बिंदुओं पर परिचय देने के लिये कहें –

1. साथी प्रतिभागी का नाम, कहां से आये हैं, उनका पद क्या है?
2. खाने की सबसे पसंदीदा चीज, और उस चीज में और स्वयं में क्या समानता है?

उदाहरण के लिये : मेरी साथी का नाम स्नेहलता है, वह आशा कार्यकर्ता है, उन्हें सेब खाना बहुत पसंद है, क्योंकि उनके गाल सेब के समान लाल हैं।

- सहजकर्ता स्वयं भी इसी विधि से अपना परिचय दें।
- सहभागियों को आपस में बातचीत कर एक दूसरे के बारे में जानने के लिये 5 मिनिट का समय दें। इसके बाद प्रत्येक जोड़ी को सामने आमंत्रित कर परिचय देने के लिये कहें।

प्रशिक्षण का उद्देश्य :

महिलाओं के साथ अनेक प्रकार की हिंसा की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा घटनायें घरेलू हिंसा की हैं। आज भी समाज में लड़का–लड़की, महिला–पुरूष का भेद खत्म नहीं हुआ है, हिंसा की बहुत सी घटनाएं लैंगिक भेदभाव के कारण ही होती हैं। दहेज, बाल विवाह जैसी अनेक सामाजिक बुराइयां हैं जिनका कुप्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। इन सबकी रोकथाम हेतु कानून भी लागू हैं, फिर भी इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अधिकांश महिलाओं को तो इन कानूनों की जानकारी भी नहीं है। आज के प्रशिक्षण में हम लैंगिक भेदभाव एवं महिलाओं के साथ हिंसा के विभिन्न रूप, हिंसा का महिलाओं पर प्रभाव, किसी हिंसा ग्रस्त महिला की पहचान और मदद कैसे करें इन विषयों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही लैंगिक भेदभाव और हिंसा की रोकथाम में आशा, एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जमीनी कार्यकर्ता के नाते क्या भूमिका हो सकती है इस पर चर्चा करेंगे।

आशा, एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही क्यों ?

सहजकर्ता प्रतिभागियों को स्पष्ट करायें कि इस क्षमतावृद्धि कार्यक्रम में उन्हें ही, क्यों और किस अपेक्षा से आमंत्रित किया गया है। इसके लिये नीचे दिये गये बिंदु प्रतिभागियों के साथ साझा करें –

- आपको समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।
- लोग आपके द्वारा दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और व्यवहार में भी लाते हैं।
- घर–घर संपर्क, टीकाकरण, बच्चों का वजन, विभिन्न सर्वे के माध्यम से आपकी हर घर तक आसान पहुंच है।
- आपकी पहुंच उन स्थानों तक होती है जहां पर महिला हिंसा, बाल विवाह एवं दहेज जैसी घटनायें घटित होती हैं।
- आपको ग्राम के अधिकांश घरों की पारिवारिक स्थिति एवं माहौल की जानकारी होती है।
- महिलायें एवं लड़कियां अपने सुख–दुख की बातें आपके साथ साझा करने में सहज महसूस करती हैं।

खुली चर्चा

- सहजकर्ता प्रतिभागियों को एहसास करायें कि समाज में व्याप्त इन बुराइयों को खत्म करने में एक महिला और जमीनी कार्यकर्ता होने के नाते उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ–साथ उनके कार्य और जिम्मेदारी का हिस्सा भी है। लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, दहेज जैसी कुप्रथाओं पर सामुदायिक जागरूकता, कानूनों और योजनाओं का प्रचार–प्रसार, ग्राम पंचायत की विकास योजना में महिलाओं की जरूरतों पर पंचायत प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कराना जैसे अनेक काम है जिनमें उनकी अहम भूमिका हो सकती है।
- प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया जानें कि वे सामाजिक बुराइयों और हिंसा की घटनाओं को रोकने में किस तरह की भूमिका, किस तरह का योगदान दे सकती हैं। सहजकर्ता प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को नोट करें।

सत्र – 2

जेंडर और जीवन चक्र के दृष्टिकोण को समझना

समयावधि : 90 मिनिट

सत्र का उद्देश्य

- लड़का–लड़की, महिला–पुरूष के बीच भेदभाव और इन भेदभावों से कैसे गैर बराबरी पैदा होती है इस पर समझ बनाना।
- इस बात पर समझ बनाना कि जेंडर पूर्वाग्रह और रूढ़ियां महिलाओं और लड़कियों के लिए हानिकारक हैं और दोनों के व्यवहारों को सीमित करती हैं।

सत्र संचालन प्रक्रिया

सहजकर्ता प्रतिभागियों को बतायें कि यह सत्र समूह अभ्यास के माध्यम से संचालित किया जायेगा, जिसमें सभी प्रतिभागी समान रूप से भागीदारी करेंगे।

समूह अभ्यास – 1

- प्रतिभागियों को चार समूहों में बांटें –
  1. पहला समूह – जन्म से लेकर 9 वर्ष की आयु तक,
  2. दूसरा समूह – 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु तक,
  3. तीसरा समूह– 20 से लेकर 49 वर्ष की आयु तक और
  4. चौथा समूह– 50 वर्ष से अधिक आयु का होगा।
- प्रतिभागियों को बतायें कि आप जिस आयु समूह में हैं, उस आयु में लड़का और लड़की, महिला और पुरूष के बीच किस–किस तरह के भेदभाव समाज द्वारा किये जाते हैं या देखने में आते हैं।
- ये भेदभाव परिवार, समुदाय, सामाजिक मुद्दों, सांस्कृतिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों, राजनीतिक मुद्दों, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से संबंधित हो सकते हैं।
- सहजकर्ता प्रत्येक समूह को समूह चर्चा से निकले बिंदुओं को प्रस्तुत करने के लिये एक या दो प्रतिभागी का चयन करने के लिये कहें।

- समूह चर्चा के लिए 20 मिनट और प्रस्तुति के लिए प्रत्येक समूह को 5 मिनट का समय प्रदान करें।
- सहजकर्ता समूह द्वारा बताए गये भेदभावों में से कौन से शारीरिक या प्राकृतिक हैं और कौन से समाज द्वारा बनाये गए हैं, प्रतिभागियों से पहचान करने के लिये कहें। सहजकर्ता बॉक्स–2.1 में दी गई जानकारी का उपयोग कर सेक्स और जेंडर के बीच के अंतर को समझाएं।

बॉक्स–2.1

सेक्स और जेंडर क्या है ?

- पुरुष और महिला के बीच शारीरिक या जैविक अंतर सेक्स है।
- पुरुषों और महिलाओं के बीच समाज द्वारा तय भेदभाव जेंडर कहलाता है।

सेक्स और जेंडर के बीच अंतर

सेक्स	जेंडर
सेक्स जैविक है	सामाजिक और सांस्कृतिक है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है
सेक्स हर समाज एवं स्थान पर एक ही रहता है	जेंडर परिवर्तनशील है और देश, जाति, धर्म, परिवार, समाज, संस्कृति और समय के अनुसार बदलता रहता है।
यह एक प्राकृतिक अंतर है	एक सोच है, जो महिला–पुरूष के गुण, व्यवहार, भूमिका, अधिकार आदि को रेखांकित कर प्राकृतिक फर्क को ऊंच–नीच का दर्जा देती है।
सेक्स स्थायी होता है और आसानी से बदला नहीं जा सकता	जेंडर समाज द्वारा निर्मित किया जाता है

समूह अभ्यास –2

यह अभ्यास सेक्स और जेंडर के बीच के अंतरों को स्पष्ट करने में मदद करेगा और प्रतिभागियों को यह समझने में मदद करेगा कि जेंडर भेदभाव कैसे गैर बराबरी की ओर ले जाता है। सहजकर्ता नीचे बॉक्स –2.2 में दिये गए कथन प्रतिभागियों को पढ़कर सुनायें तथा उन्हें सेक्स या जेंडर पहचानने के लिये कहें।

नीचे दिये गये कथनों में सेक्स और जेंडर की पहचान करें –

बॉक्स–2.2

पुरुषों की तुलना में महिलाएं बच्चों की देखभाल करने में बेहतर हैं –	जेंडर
महिलायें बच्चों को स्तनपान कराती हैं –	सेक्स
पोस्टमॉर्टम पुरुष डॉक्टरों द्वारा किया जाता है –	जेंडर
यौवनावस्था में पुरुष की आवाज मोटी या भारी होना –	सेक्स
महिलाओं में मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति –	सेक्स
पुरुष सैनिक होते हैं, क्योंकि वे बहादुर हैं और लड़ने के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं –	जेंडर
पुरुषों के लिए शरीर के बाल ठीक हैं, लेकिन महिलाओं को इसे हटाना होगा –	जेंडर
महिलाओं की ज्यादातर बीमारियाँ मानसिक होती हैं–	जेंडर

- दोनों अभ्यास के माध्यम से यह सीख मिलती है कि महिला–पुरूष के बीच प्राकृतिक अंतर बहुत सीमित हैं, लेकिन समाज द्वारा बनाये गये भेदभाव, जिन्हें जेंडर के नाम से जाना जाता है बहुत अधिक है।
- सहजकर्ता प्रतिभागियों को अपने कार्यक्षेत्र में प्रचलित जेंडर भेदभाव से जुड़ी कोई दो प्रथाएं जिन्हें वे रोकने का प्रयास करेंगे, सूचीबद्ध करने के लिये कहें।

सत्र – 3

महिला हिंसा के विभिन्न रूप

समयावधि : 75 मिनिट

सत्र का उद्देश्य

- महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली हिंसा के विभिन्न प्रकारों पर समझ बनाना।

सत्र संचालन प्रक्रिया

- सहजकर्ता प्रतिभागियों को चार समूहों में बांटें और प्रत्येक समूह को नीचे बॉक्स–3.1 में दी गई एक–एक केस स्टडी साझा कर, निम्न बिंदुओं पर चर्चा करने के लिये कहें –
  1. केस स्टेडी अनुसार महिला के साथ किस तरह की हिंसा की गई।
  2. आपको क्या लगता है कि जो गलती थी, उसके लिये महिला के साथ हिंसा उचित थी?
  3. क्या इस तरह की हिंसाओं को समाप्त करना संभव है?
- प्रत्येक समूह आपस में चर्चा कर उपरोक्त तीन बिंदुओं पर अपना प्रस्तुतिकरण देगा।
- सहजकर्ता प्रत्येक समूह में हुई चर्चा के प्रस्तुतिकरण के लिये एक या दो सदस्य का चयन करने के लिये कहें।

बॉक्स–3.1 : केस स्टेडी

23 साल की जमुना अपने पति रवि और दो बच्चों के साथ उड़ीसा के धनकेनाल जिले के भूभान गांव में रहती है। एक शाम उसने जो खाना बनाया, वह सामान्य से अधिक मसालेदार था। खाने के बाद, उसके पति ने कहा कि वह एक लापरवाह महिला है, जो केवल टीवी देखने के अलावा कोई काम नहीं करती, साथ ही वह जमुना को थप्पड़ भी मारता है।

15 वर्षीय दर्शना अपने माता–पिता और दादा–दादी के साथ बिहार के सहरसा जिले के बनगाँव में रहती है। एक दिन उसके पिता के युवा चचेरे भाई उनसे मिलने आए और एक हफ्ते तक उनके घर पर ही रहे। इस दौरान पिता का चचेरा भाई दर्शना से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है और उसे अनुचित तरीके से छूता है। वह बेहद डरी हुई है और नहीं जानती कि उसे क्या करना है।

फातिमा अपने पति और माता–पिता के साथ राजस्थान के जोधपुर जिले के असंध गाँव में रहती हैं। फातिमा और उसके पति ईंट भट्टे पर मिट्टी की ईंट बनाने का काम करते हैं। ठेकेदार उनसे हर दिन 10 घंटे काम कराता है। हालांकि फातिमा और उसके पति दोनों यही काम करते हैं, लेकिन ठेकेदार यह कहते हुए कि महिलाएं पुरुषों के जितना काम नहीं करती, फातिमा को 225 रूपये और पति को 300 रूपये दिहाड़ी देता है।	मार्गिना ने हाल ही में अपने पति को खो दिया, वह अपने ससुराल में मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागोद गाँव में रहती हैं। ससुराल वाले उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने और उसे डायन कहने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। वे मार्गिना के बारे में ग्रामीणों को यह बताने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं कि वह परिवार के लिये अशुभ है।

- चारों केस स्टेडी में महिलाओं के साथ अलग–अलग प्रकार की हिंसा हुई है। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद प्रतिभागियों की इस बात पर समझ अवश्य बनायें कि, किस केस स्टेडी में किस प्रकार की हिंसा हुई है।
- समूहों के प्रस्तुतिकरण के बाद सहजकर्ता आगे बॉक्स–3.2 में दी गई जानकारी का उपयोग कर प्रतिभागियों को बतायें कि महिलाओं के साथ मुख्यतः 4 प्रकार की हिंसा होती है। इन चारों प्रकार की हिंसा में किस–किस प्रकार की हिंसा शामिल है।

महिलाओं के साथ हिंसा के विभिन्न प्रकार

बॉक्स–3.2

शारीरिक हिंसा : यह मुक्का मारने, पीटने, कोई वस्तु फेंकने या फेंककर मारने, धक्का देने, वस्तुओं या हथियारों का उपयोग कर चोट पहुंचाने, जलाने आदि के रूप में हो सकती है। इस तरह की हिंसा में शारीरिक अंगों का कटना और चोट के कारण स्थायी विकलांगता, यहां तक कि मृत्यु तक हो सकती है। शारीरिक हिंसा आमतौर पर समय के साथ बढ़ते रहती है और इसका अंत एक महिला की मृत्यु के रूप में हो सकता है।

भावनात्मक हिंसा : इसमें आलोचना, धमकी, अपमान, अपमानजनक टिप्पणियां, परिवार या दोस्तों से अलगाव, पीड़िता और उसके सगे संबंधियों या उनके सामान को नुकसान पहुंचाने की धमकी शामिल हो सकती है। जो महिलाएं भावनात्मक शोषण से पीड़ित होती हैं, वे आमतौर पर आत्मसम्मान की हानि के कारण हमेशा अवसाद या चिंता से गुजरती हैं।

यौन हिंसा : इसमें जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, दूसरों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना, असुरक्षित यौन संबंध बनाना शामिल है। यौन शोषण बलात्कार या यौन हमले का रूप ले सकता है।

आर्थिक हिंसा : इसमें पैसे की अनुचित मांग करना, पैसा कमाने की अनुमति न देना, व्यक्तिगत सामान को नुकसान पहुंचाना, भोजन और कपड़े जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रखना शामिल है।

सहजकर्ता इस बात पर भी जोर दें कि हिंसा किसी भी रूप में हो न तो यह स्वीकार्य है और न ही उचित है। हिंसा को समाप्त करना संभव है और इसे समाप्त करने के विभिन्न उपाय हो सकते हैं।

आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अपनाये जा सकने वाले उपाय

1. घर–घर विजिट, सर्वे या अन्य किसी कार्य से गांव भ्रमण के दौरान घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की पहचान कर सकती हैं और उनसे अकेले में बात कर उचित सलाह दे सकती हैं। महिला को एहसास होना चाहिये की आप उसके साथ हैं।
2. हिंसा पीड़ित महिला की सहमति पर उसके परिवार वालों से चर्चा एवं उनकी काउंसलिंग कर सकती हैं।
3. पीड़ित महिलाओं को हिंसा से बचाव के उपाय और कानूनी जानकारियां प्रदान कर सकती हैं। कानून का डर और एहसास हिंसा करने वालों को भी करा सकती हैं।
4. आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अकेले इस मुद्दे पर काम करना मुश्किल हो तो वे ग्राम स्तर पर गठित महिला समूहों, ग्राम संगठनों, ग्राम स्वास्थ्य समिति, पंचायत प्रतिनिधियों आदि के साथ सामूहिक रूप से हिंसा के खिलाफ काम करने के लिए समर्थन जुटा सकती हैं।

सत्र – 4

महिला हिंसा के प्रभाव

समयावधि : 60 मिनिट

सत्र का उद्देश्य

- हिंसा के कारण महिलाओं पर पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों पर समझ बनाना।

सत्र संचालन प्रक्रिया

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दुष्परिणाम होते है। जिसके कारण महिलाएं अपने अधिकारों और हितों से वंचित रह जाती हैं। सार्वजनिक एवं राजनीतिक मंचों पर उनको प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता और निर्णय लेने के पदों पर पहुंचने के अवसर घट जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुँच भी सीमित हो जाती है।

- सहजकर्ता प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांटें और एक समूह को हिंसा के कारण महिला के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, दूसरे समूह को आर्थिक प्रभाव और तीसरे समूह को महिलाओं के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण के लिये कहें।
- प्रत्येक समूह में समूह चर्चा से निकले बिंदुओं के प्रस्तुतिकरण हेतु किसी एक या दो सदस्य का चयन करने के लिये कहें।
- समूह चर्चा के प्रस्तुतिकरण के बाद हिंसा से उपजने वाले दुष्प्रभावों पर नीचे दी गई जानकारी सहभागियों के साथ साझा करें।

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के दुष्प्रभाव

महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा से उनके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जो इस प्रकार हैं –

शारीरिक : छोटी–मोटी चोट से लेकर नीला पड़ने तक की चोट, जलना, गंभीर या पुराना दर्द और छोटी लड़कियों में कुपोषण। गंभीर हिंसा के कारण हड्डी टूटना, अस्थायी या स्थायी विकलांगता और जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो सकती है या मृत्यु भी हो सकती है।

मनोवैज्ञानिक या मानसिक : महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव, शारीरिक प्रभावों से कहीं ज्यादा गंभीर और हानिकारक होते हैं। वे महिलाओं के आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। इससे कई अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्यायें भी उत्पन्न हो जाती हैं। इनके कारण कई बार महिलायें आत्महत्या कर सकती हैं या आत्महत्या की कोशिश करती हैं। उनमें निराशा, चिंता और सिर दर्द जैसी समस्यायें भी उत्पन्न हो जाती हैं। लम्बे समय से प्रताड़ना या मारपीट की शिकार महिलाओं में ये लक्षण स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। किशोरी बालिकाओं एवं वयस्क महिलाओं का यौन स्वास्थ्य भी यौनिक जबरदस्ती के कारण प्रभावित हो सकता है।

आर्थिक प्रभाव : हिंसा के आर्थिक प्रभावों में स्वास्थ्य, न्याय, सामाजिक सेवाओं, मजदूरी, रोजगार या व्यावसायिक हानि, व्यक्तिगत या घरेलू व्यय आदि शामिल है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन (आईसीआरडब्ल्यु) के अध्ययन से पता चला है कि घरेलू हिंसा के कारण चोट लगने वाली हर घटना में, महिला को 6.88 दिन के रोजगार दिवस और 6.87 दिनों का घरेलू कार्य दिवस का नुकसान उठाना पड़ता है।

प्रजनन स्वास्थ्य : अवांक्षित गर्भावस्था, और/या यौन संक्रामक बीमारियां सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा जननांग क्षेत्र में चोट लगना, गर्भपात, समय से पहले प्रसव और यहां तक कि मातृ मृत्यु जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देने वाले आघात शामिल हैं।

बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव : अपनी मां को उत्पीड़न का शिकार होते देखने वाले बच्चे या तो आक्रामक और गुस्सैल बन जाते हैं या फिर वे खामोश हो जाते हैं और अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। जिन परिवारों में हिंसा की घटनायें आए दिन होती है, इन परिवारों के बच्चे अक्सर ठीक से खाना नहीं खाते, उनका विकास ठीक से नहीं होता और अन्य बच्चों के मुकाबले उनकी सीखने की क्षमता कम हो जाती है। वे मानसिक बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं। इसकी वजह से वे अकारण स्कूल से अनुपस्थित रहने लगते हैं या स्कूल छोड़ देते हैं और इससे उनकी शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है। अक्सर जब कोई महिला घर में उत्पीड़न का शिकार होती है, तो उसके बच्चों में भी यह भावना घर करने लगती है कि लड़कियों और औरतों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है और उनके साथ होने वाली हिंसा ठीक या स्वीकार्य है।

सत्र – 5

हिंसा ग्रसित महिला की पहचान और परामर्श सावधानियां

समयावधि : 60 मिनिट

सत्र का उद्देश्य

- हिंसा ग्रसित महिला की पहचान करने में आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सक्षम बनाना।
- आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हिंसा पीड़ित महिला को परामर्श देते समय रखी जाने वाली सावधानियों से अवगत कराना।

सत्र संचालन प्रक्रिया

अधिकांशतः घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं, अपना दर्द किसी और के साथ साझा नहीं करती हैं। वह हिंसा की बातें केवल उन्हीं लोगों को साथ साझा करती हैं, जिन पर उन्हें विश्वास हो कि, मैं यदि इन्हें कुछ बताऊंगी तो मेरी बात इन तक ही सीमित रहेगी। आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऐसी जमीनी कार्यकर्ता हैं जिन्हें गांव की हर महिला पहचानती एवं जानती है। इन तीनों के पास अपने कार्यों के दौरान अनेक ऐसे अवसर हैं जब उन्हें महिलाओं से अकेले में बात करने के मौके मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हिंसा पीड़ित महिला की पहचान कैसे की जाये। इस सत्र में हम इसी सवाल का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे तथा किसी हिंसा पीड़ित महिला को परामर्श देते क्या सावधानियां रखनी चाहिये, जानेंगे।

- सहजकर्ता आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बतायें कि अधिकांशतः महिलायें उनके साथ होने वाली हिंसा के बारे में किसी को बताती नहीं हैं, न ही कोई कानूनी कदम उठाती हैं, जब तक कि उनके साथ हिंसा की अति न हो जाये। लेकिन कुछ लक्षणों और महिला के व्यवहार को देखकर हिंसा ग्रसित महिला की पहचान की जा सकती है।
- आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पूछें कि ऐसे कौन–कौन से लक्षण हैं जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि महिला हिंसा से पीड़ित है ? प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक सुनें और उनके द्वारा बताये गए लक्षणों को चार्ट पेपर नोट करते जायें।
- जब आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ओर से प्रतिक्रियायें आना बंद हो जाये तो बॉक्स–5.1 में दिये गये हिंसा ग्रसित महिला की पहचान के लक्षणों को साझा करें।

हिंसा ग्रसित महिला की पहचान हेतु देखे जा सकने वाले प्रमुख संकेत

बॉक्स–5.1

- महिला के शरीर पर चोट के निशान।
- महिला उसे चोट कैसे लगी बताने के लिये इच्छुक न हो।
- महिला के परिवार के सदस्य चोटों को दुर्घटना बतायें।
- ऐसे मामले जिनमें महिला की चोट का उपचार न कराया जा रहा हो।
- पीड़ित महिला हिंसा करने वाले की पहचान छुपाने की कोशिश करे।
- परिवार के सदस्य महिला को किसी से बात करने और उसे कुछ न बताने के लिये निगरानी रखें।
- महिला गुमसुम रहती हो, किसी से बात न करती हो।
- महिला द्वारा नशीली वस्तुओं का सेवन या आत्महत्या का प्रयास किया गया हो।

हिंसा पीड़िता को परामर्श या सलाह

- सहजकर्ता आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बतायें कि महिला हिंसा अत्यंत संवेदनशील मामला है, इसलिये हिंसा पीड़िता को परामर्श या सलाह देते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है।
- सहजकर्ता, आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक सलाहकार या पदामर्शदाता के रूप में क्या–क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है बताने के लिये प्रोत्साहित करें।
- जब प्रतिभागियों की ओर से प्रतिक्रियायें आना बंद हो जाये तो बॉक्स–5.2 में दिये गये सावधानी के प्रमुख बिंदुओं को साझा करें।

हिंसा पीड़िता के सलाहकार के रूप में ध्यान रखने वाली प्रमुख बातें

बॉक्स–5.2

- पीड़िता को विश्वास दिलायें कि उसके द्वारा बतायी गई बातें पूरी तरह गोपनीय रखी जायेगी।
- पीड़िता के साथ किसी सुरक्षित एवं अलग स्थान पर बात करें।
- जब पीड़िता अपनी बात कह रही हो तो उसे टोकें नहीं, बल्कि ध्यान पूर्वक सुनें और माहौल को सहज बनायें।
- अपनी ओर से न तो कोई निर्णय सुनायें और न ही थोपें।
- जहां तक संभव हो बातचीत में स्थानीय भाषा या बोली का प्रयोग करें।
- पीड़िता को सुरक्षा का भरोसा दिलायें।
- पीड़िता को आपके साथ खुलकर बात करने में कुछ समय लग सकता है, इसलिये धैर्य बनाये रखें।

- इस प्रकार हम किसी हिंसा पीड़ित महिला की उसके द्वारा बिना बताये भी पहचान कर सकते हैं और बतायी गई सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उसे उचित परामर्श भी प्रदान कर सकते हैं।

हिंसा पीड़ित महिला की पहचान एवं सहयोग में आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका

- अगर आपको किसी महिला के शरीर पर कोई चोट के निशान, दाग या जख्म नजर आये तो, उसे यह विश्वास दिलाते हुए कि उसके द्वारा दी गई जानकारी गुप्त रखी जायेगी, यह जानने का प्रयास करें कि उसे चोट कैसे लगी है।
- अगर कोई महिला गंभीर दर्द, रक्त स्त्राव, टूटी हडडियॉ या अन्य कोई चोट के साथ आये तो उससे पूछें कि, क्या उसके साथ किसी ने मारपीट की है? अधिकांश मामलों में महिलायें इसे दुर्घटना बताती हैं।
- महिला की सहमति से उसके द्वारा दी गई हर जानकारी को नोट करें। उसके शरीर के किन–किन अंगों में चोट है, नोट करें।
- यह भी जानने का प्रयास करें कि उसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट या हिंसा की गई है।
- यदि महिला, अपनी या अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखे या जानकारी दे तो, महिला की सहमति से उसे उचित सुरक्षा प्रदान करने में सहयोग करें।
- अगर महिला, पुलिस सहायता की मांग करती है तो पुलिस को सूचित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि पुलिस उसकी शिकायत पर गंभीरता से कार्यवाही करे।
- आप पीड़ित महिला को स्थानीय स्तर पर हिंसा ग्रसित महिलाओं के लिए काम करने वाली सामाजिक संस्थाओं तथा गैर सरकारी संस्थाओं से संपर्क बनाने में भी सहायता कर सकती हैं। इससे एक वातावरण बनेगा तथा महिला को उचित न्याय दिलाने में आसानी होगी।
- स्व सहायता समूह ग्राम संगठन के साथ सामुदायिक और धार्मिक नेताओं से महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा की रोकथाम हेतु सहयोग की अपील कर सकती हैं।
- आपके कार्यक्षेत्र में हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिये क्या–क्या सुविधायें एवं व्यवस्थाएं मौजूद हैं, इसकी जानकारी हमेशा अपने पास रखें। जैसे –
  - पुलिस सहायता
  - चिकित्सा सेवाएं
  - मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं
  - आश्रय गृह
  - परामर्श सेवाएं
  - हेल्पलाइन नंबर

सत्र – 6

लैंगिक भेदभाव व महिला हिंसा की रोकथाम में आशा, एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका

समयावधि : 60 मिनिट

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर

सत्र का उद्देश्य

- लैंगिक भेदभाव व महिला हिंसा की रोकथाम में आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका पर समझ बनाना।
- महिला हिंसा के समाधान व सहयोग के चरण से अवगत कराना।

सत्र संचालन प्रक्रिया

- सहजकर्ता प्रतिभागियों से अपने कार्यक्षेत्र में लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की रोकथाम में उनकी क्या भूमिका हो सकती है बताने के लिये कहें।
- प्रतिभागियों के जबावों को चार्ट पेपर पर नोट करते जायें।
- जब प्रतिभागियों की ओर से प्रतिक्रियायें आना रूक जाये तो बॉक्स–6.1 में दी गई जानकारी प्रतिभागियों के साथ साझा करें।

महिला हिंसा एवं भेदभाव की रोकथाम एवं समाधान हेतु सांकेतिक बिंदु

बॉक्स–6.1

जमीनी कार्यकर्ता के रूप में आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका

- महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने वाले कानूनों और अधिकारों को जानना (संबंधित कानूनों की जानकारी हेतु –अनुलग्नक 1 देखें)
- सामुदायिक जागरूकता एवं महिलाओं के हक और अधिकारों पर नियमित बातचीत करना
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ने में मदद करना।

सामुदायिक संगठनों के माध्यम से सामूहिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देना

- हिंसा के मुद्दे को समझने और रोकथाम हेतु अपने क्षेत्र के पुरुषों और युवाओं का संवेदीकरण करना।

- स्वयं सहायता समूह और अन्य सामुदायिक संगठनों चाहे वह पुरूषों का हो या महिलाओं का, इनके सहयोग से हिंसा के सभी रूपों का सामूहिक विरोध करने की परिस्थिति का निर्माण करना।
- दहेज एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं की रोकथाम करना।

संस्थानों और संरक्षण तंत्र के साथ संबंध विकसित करना

- बाल कल्याण समितियों, शौर्या दल का गठन सुनिश्चित करना। क्षेत्र के आश्रय गृह, अल्पवास गृह और वन स्टॉप सेंटर की जानकारी रखना तथा इनके साथ संबंधों को मजबूत बनाना।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत नियुक्त क्षेत्रीय संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के साथ तालमेल बनाना तथा संपर्क नंबर रखना।
- संकटग्रस्त महिलाओं की मदद हेतु हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- पंचायत के सहयोग से हिंसा ग्रस्त महिला के परिवार में सुलह कराने का प्रयास करना।
- यदि सुलह संभव न हो और हिंसा ग्रस्त महिला शिकायत दर्ज कराना चाहे तो उसे शिकायत दर्ज कराने, उपचार कराने तथा आवास हेतु सहयोग करना।
- महिला हिंसा की रोकथाम एवं लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिये पंचायत द्वारा किये जाने वाले प्रयासों में आवश्यक सहयोग करना।
- महिला हिंसा और लैंगिक भेदभाव के निवारण हेतु लागू विभिन्न कानूनों के बारे में समुदाय को जागरूक करना।
- महिला हितैषी पंचायत की योजना निर्माण में आवश्यक सुझाव व सहयोग प्रदान करना।

- सहजकर्ता बतायें कि महिला हिंसा, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है जिसके कारण पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव और हिंसा की जाती है। कुछ मामलों में, पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बनाये गये नियम कायदे नहीं मानने पर पुरुषों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है। हिंसा महिलाओं को उनके अस्तित्व, कल्याण और विकास के अधिकार से वंचित करती है। अधिकांश हिंसा घर के भीतर और सबसे अंतरंग और विश्वसनीय रिश्तों में होती है, जिसके कारण महिलाएं अक्सर इसे छिपाती हैं और चुपचाप हिंसा को बर्दाश्त करते रहती हैं। आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास और सक्रियता से महिलाओं और लड़कियों के संदर्भ में हिंसा मुक्त, भेदभाव मुक्त परिस्थिति का निर्माण संभव है। किसी भी परिस्थिति में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा जायज नहीं है और हर महिला को हिंसा मुक्त जीवन जीने का अधिकार है।

महिला हिंसा के समाधान और सहयोग के चरण

- सहजकर्ता प्रतिभागियों को बतायें कि महिला हिंसा के प्रत्येक मामलों को पुलिस और कोर्ट में ले जाना उचित नहीं है। सबसे पहला प्रयास हिंसा करने वाले व्यक्ति को समझाने और सुलह कराने का होना चाहिये। इसके लिये पंचायत, महिला संगठन और ग्राम के सम्मानित महिला–पुरूषों की मदद ली जा सकती है।
- यदि समझाने पर दोनों पक्ष में सुलह या समझौता सम्भव हो तो इसका लिखित पंचनामा तैयार किया जाना चाहिये। जिसमें निम्न बातों का उल्लेख होना चाहिये –
  - ❖ पंचनामा तैयार करने के लिये पंचायत कार्यालय का उपयोग किया जाये, जिसमें दोनों पक्षों की उपस्थिति के साथ–साथ सरपंच और ग्राम के गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी आवश्यक हो।
  - ❖ पंचनामा तीन प्रतियों में तैयार किया जाये जिसमें, पंचनामा तैयार करने की तारीख, समय, स्थान का विवरण दिया गया हो।
  - ❖ हिंसा के विवरण सहित उन शर्तों का स्पष्ट उल्लेख हो जिनके आधार पर सुलह संभव हुई है। जैसे –भविष्य में किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, देखभाल, खर्च पूर्ती आदि।
  - ❖ यदि हिंसा करने वाले द्वारा शर्तों का उलंघन कर महिला के साथ पुनः हिंसा की जाती है तो क्या कार्यवाही की जा सकेगी, इसका उल्लेख भी किया जाना चाहिये।
  - ❖ पंचनामा तैयार हो जाने के बाद दोनों पक्षों और उपस्थित लोगों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिये।
  - ❖ पंचनामा पढ़कर सुनाने के बाद दोनों पक्षों, गवाहों, सरपंच के हस्ताक्षर और सील लगायी जाये।
  - ❖ पंचनामा की एक प्रति हिंसा पीड़िता को, दूसरी कॉपी हिंसा करने वाले व्यक्ति को और तीसरी कॉपी पंचायत रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाये।
  - ❖ पंचनामा के लिये आयोजित बैठक का विवरण पंचायत की बैठक रजिस्टर में पंजीबद्ध किया जाये और इसमें उपस्थित सभी लोगों के हस्ताक्षर कराये जायें।
- यदि सुलह संभव हो गई है तो बीच–बीच में पीड़िता से संपर्क कर उसके हाल चाल पूछते रहना कि कहीं उसके साथ फिर से हिंसा तो नहीं हो रही है।
- यदि दोनों पक्षों के बीच सुलह कराना संभव न हो तो पीड़िता को कानूनी विकल्पों की जानकारी दी जाये, यदि वह शिकायत करने के लिये इच्छुक है तो संरक्षण अधिकारी, पुलिस या सेवा प्रदाता संस्था के पास शिकायत दर्ज कराने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाये।
- यदि महिला घायल या चोटिल हो तो उसे चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु मदद की जाये, और पंचायत या सेवा प्रदाता संस्था की मदद से उसके रहने, खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

पोस्ट टेस्ट प्रश्नावली भरवाने और प्रतिभागियों के फीडबैक तथा आभार के साथ प्रशिक्षण के समापन की घोषणा करें।

लैंगिक भेदभाव को रोकने तथा महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून

जेंडर संबंधी कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उसके क्रियान्वयन में पंचायतों के सहयोग हेतु आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। लैंगिक भेदभाव वाली प्रथाओं और अपराधों को खत्म करने के लिए लागू किए गए प्रमुख कानूनों की जानकारी नीचे दी गई है।

क्र.	लैंगिक भेदभाव वाली प्रथायें	प्रथाओं को समाप्त करने के लिये कानून
1.	**पक्षपाती लिंग चयन** गर्भधारण से पहले या बाद में पक्षपाती तरीके से लिंग का चयन कर, बालिका होने की स्थिति में भ्रूण हत्या कर दी जाती है। इस प्रथा के कारण जन्म के समय बाल लिंग अनुपात में गिरावट आई है (प्रति 1000 लड़कों पर पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या)। रजिस्ट्रार जनरल, भारत सरकार द्वारा देश में जन्म और मृत्यु के नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के आंकड़ों के अनुसार 2016–18 के दौरान, भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर 899 लड़कियां थीं।	**लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994** **यह कानून निम्न प्रतिबंध लगाता है** • गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग का चयन। • अधिनियम के तहत अपंजीकृत व्यक्तियों/क्लीनिकों को अल्ट्रासाउंड मशीनों की बिक्री शब्दों, संकेतों या किसी अन्य तरीके से भ्रूण के लिंग की पहचान उजागर करना। • सेक्स का निर्धारण। • पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापन। **यह कानून नियमन करता है** • भ्रूण की असामान्यता या विसंगतियों के निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग। **यह कानून रोकता है** • लिंग निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक का दुरुपयोग। **दंड क्या हैं ?** कोई भी चिकित्सक या व्यक्ति जो अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है – • पहले अपराध के लिए 3 साल तक की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना। • दोबारा अपराध करने पर 5 साल तक कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना। **चिकित्सक का पंजीकरण :** • आरोप तय होने पर राज्य चिकित्सा परिषद से पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है। • पहले अपराध में 5 साल की अवधि के लिए तथा दोबारा अपराध तय होने पर स्थायी रूप से पंजीयन रदद् किया जा सकता है।

		सेक्स चयन/लिंग निर्धारण सेवाओं की मांग करने वाला कोई भी व्यक्ति – • पहले अपराध के लिए 3 साल तक की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना • दोबारा अपराध के लिये 5 साल तक का कारावास और 1,00,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। एक गर्भवती महिला को अधिनियम के तहत अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसके विरूद्ध अपराध साबित न हो, क्योंकि यह माना जाता है कि उसे अपने पति या अन्य रिश्तेदारों द्वारा सेक्स–निर्धारण के लिए मजबूर किया गया होगा।
2.	**बाल विवाह** **बाल विवाह क्या है?** बाल विवाह का तात्पर्य कानूनी उम्र (लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल) से पहले किसी व्यक्ति के विवाह से है। यह दंडनीय अपराध है।	**बाल विवाह निषेध अधिनियम (संशोधित 2006)** किसे दंडित किया जा सकता है? बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत • 18 साल से ऊपर का वयस्क पुरुष किसी बच्चे से शादी करता है। • जो कोई भी बाल विवाह का आयोजन करता है, या इसके लिये उकसाता है। • माता–पिता, अभिभावक, किसी संस्था/संघ के किसी सदस्य जिसके पास बच्चे का प्रभार हो, बाल विवाह के लिए दबाव बना रहा हो, प्रोत्साहन दे रहा हो या अनुमति दे रहा हो। • कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह का ज्ञान है, लेकिन वह विवाह को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं करता है। **सजा क्या है?** • दोषी पर 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और • 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। • बाल विवाह एक संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध है। **रिपोर्ट कहां करें?** • ग्राम बाल संरक्षण समिति • चाइल्ड हेल्पलाइन

		क्या कार्यवाही की जा सकती है ? • बाल विवाह को कानूनी रूप से अमान्य किया जा सकता है। • प्रभावित बच्चा कानूनी उम्र पूरी होने के 2 साल के भीतर विवाह निरस्त करने के लिए आवेदन दायर कर सकता है। • बाल विवाह को रोकने के लिए, पुलिस, बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग या पंचायत को मौखिक रूप से/पोस्ट या ईमेल द्वारा लिखित रूप से जानकारी दी जा सकती है।
3.	**दहेज प्रथा** **दहेज क्या है?** दहेज का अर्थ है किसी भी मूल्यवान वस्तु जैसे कि नकदी, संपत्ति, आभूषण और चलित सामान, जो विवाह के पहले, विवाह के दौरान या विवाह के बाद में अनुबंध के रूप में पति के परिवार द्वारा मांगे जायें।	**दहेज निषेध अधिनियम, 1961, 1986 में संशोधित** **किसको हो सकती है सजा?** दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत– • दहेज देने या लेने वाला या दहेज के लेनदेन को बढ़ावा देने वाला कोई भी व्यक्ति • कोई भी व्यक्ति शादी के लिये संपत्ति या व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश करने के लिए विज्ञापन देता है **सजा क्या है?** • दहेज लेने, देने या बढ़ावा देने वाले को 5 साल की कैद और 15,000 रुपये या दहेज के मूल्य की राशि जो भी अधिक हो जुर्माना। • दहेज की मांग के लिए (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) 6 महीने की कैद जो 2 साल तक बढ़ सकती है और 10,000 रुपये का जुर्माना। • शादी के लिये संपत्ति या व्यवसाय में हिस्सेदारी की पेशकश का विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करने पर 6 महीने का कारावास जो 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 15,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। **कहां रिपोर्ट करें?** • दहेज निषेध अधिकारी • पुलिस • वन स्टॉप सेंटर

		शादी के 7 साल के भीतर अप्राकृतिक मौत होती है और यदि उसकी मृत्यु से पहले दहेज संबंधी उत्पीड़न का सबूत है; तो ऐसी मृत्यु को दहेज हत्या/हत्या के रूप में संज्ञान में लिया जा सकता है।
	धारा 304 (बी) – यदि किसी लड़की या महिला की	
4.	**घरेलू हिंसा** **घरेलू हिंसा क्या है?** अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा का मतलब ऐसी हिंसा से है जो घरेलू नातेदारी में महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या भलाई को चोट पहुंचाती हो। घरेलू हिंसा विभिन्न रूपों में हो सकती है – • शारीरिक हिंसा • मौखिक दुर्व्यवहार/हिंसा • भावनात्मक हिंसा • यौन हिंसा • आर्थिक हिंसा	**घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून** **किसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है?** घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अनुसार 1. वयस्क पुरुष जो शिकायतकर्ता के साथ घरेलू संबंध में है या रहा हो, जैसे – • पति/साथी • पिता • भाई 2. पति या पुरुष साथी के रिश्तेदार (महिला–पुरुष दोनों) **सजा क्या है?** • धारा 498 ए आईपीसी के तहत 3 साल की जेल और जुर्माना। **अधिनियम के तहत क्या प्रावधान है?** • संरक्षण आदेश। • साझा घर में रहने और निष्कासित न करने का आदेश। • बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा आदेश। • दिन–प्रतिदिन और चिकित्सा व्यय के लिए राशि उपलब्ध कराने का आदेश। • शारीरिक और मानसिक नुकसान के लिए मुआवजा आदेश। **रिपोर्ट कहां करें?** • अपने क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी (परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग) • पुलिस • वन स्टॉप सेंटर

5. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न**

यौन उत्पीड़न में निम्न अवांछित कार्यों में से कोई एक या अधिक शामिल हैं –

- शारीरिक संपर्क, या
- यौन संबंध की माँग, या अनुरोध, या
- यौनिक टिप्पणी करना, या
- अश्लील साहित्य दिखाना, या
- यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर–मौखिक आचरण

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

अधिनियम किसे सुरक्षा प्रदान करता है?

अधिनियम सुरक्षा करता है –

जो महिलाएं किसी कार्यस्थल पर कार्यरत हैं।

- जो महिलाएं एक ग्राहक, उपभोगता, प्रशिक्षु या दैनिक मजदूरी श्रमिक के रूप में किसी कार्यस्थल पर काम करती हैं।

कौन कर सकता है शिकायत?

स्वयं पीड़ित महिला या महिला की लिखित सहमति के साथ, निम्न लोग शिकायत कर सकते हैं –

- शिकायतकर्ता का रिश्तेदार, दोस्त या सहकर्मी या कोई भी व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो।
- मानसिक अक्षमता के मामले में विशेष शिक्षक / मनोचिकित्सक / मनोवैज्ञानिक
- महिला की मृत्यु के मामले में उसके कानूनी अभिभावक।

कहां रिपोर्ट करें?

- जहां 10 से अधिक कर्मचारी पदस्थ हैं ऐसी संस्था / कार्यालय में गठित आंतरिक समिति को
- स्थानीय समिति (असंगठित क्षेत्र और 10 से कम श्रमिकों वाले छोटे प्रतिष्ठानों के लिए)
- आईपीसी की धारा 354 ए और 509 के तहत पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है

सजा क्या है?

- सजा संगठन के सेवा नियमों के तहत निर्धारित की जाएगी। यदि सेवा नियम उपलब्ध न हो तो –
- अनुशासनात्मक कार्रवाई– लिखित माफी, चेतावनी, निंदा और फटकार।
- पदोन्नति / वेतन वृद्धि पर रोक।
- नौंकरी से निकालना।
- परामर्श और / या सामुदायिक सेवा से गुजारना।

प्री एन्ड पोस्ट – टेस्ट प्रश्नावली

1. नाम (वैकल्पिक) : .....

2. आपके अनुसार
   अ. सेक्स क्या है? .....
   ब. जेंडर क्या है? .....

3. लड़का–लड़की, महिला–पुरूष के बीच कौन से अंतर अधिक हैं
   अ. प्रकृति द्वारा बनाये गये
   ब. समाज द्वारा बनाये गये

4. महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंसा किन–किन रूपों में होती है?
   .....
   .....

5. महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई चार हानिकारक प्रथाओं को सूचीबद्ध करें।
   .....
   .....

6. क्या आपको लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण पुरुषों के लिए उपलब्ध अधिकारों और अवसरों को कम करता है (सही उत्तर पर टिक करें)
   अ. हाँ
   ब. नहीं

7. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है (सही उत्तर पर टिक करें)
   अ. लैंगिक समानता सभी के लिए विकास का अंत है
   ब. लैंगिक समानता एक लक्ष्य है
   स. विकास और लक्ष्य दोनों को प्राप्त करने में लैंगिक समानता जरूरी है

8. क्या पुरुष द्वारा कुछ परिस्थितियों में पत्नी की पिटाई करना उचित मानते हैं (सही उत्तर पर टिक करें)
   अ. हाँ
   ब. नहीं
   स. पता नहीं

9. समाज में बेटी की चाह न रखने के तीन कारण बतायें
   1. .....
   2. .....
   3. .....

10. लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आपके कार्य क्षेत्र में तीन प्राथमिकता वाले कार्यों को सूचीबद्ध करें –
    1. .....
    2. .....
    3. .....

समर्थन के बारे में ....

समर्थन एक गैर सरकारी संस्था है जो विगत 25 वर्षों से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से काम कर रही है। हमारा प्रयास नागर समाज की संस्थाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु निर्मित हो जिससे वंचितों की आवाज बुलन्द हो सके।
संस्था मुख्यतः सहभागी शोध एवं जमीनी सच्चाइयों से उभरे ठोस आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी आम नागरिकों के हितों में मौलिक अधिकारों एवं प्राथमिक सेवाओं की पैरवी करती है। हमारा लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं और बुनियादी स्तर के समूहों को मजबूत करना एवं उनकी क्षमतावृद्धि करना है। ताकि वे विकेन्द्रीकृत विकास और अभिशासन के मुद्दों को आगे बढ़ा सकें।

समर्थन द्वारा वर्ष 2018 में यूएनएफपीए के सहयोग से युवाओं की सूचना और सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में विभागीय अभिसरण मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से छतरपुर जिले में अपने काम की शुरूआत की। विगत एक वर्ष से संस्था लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की रोकथाम हेतु छतरपुर जिले में कार्य कर रही है। जिसके तहत घरेलू हिंसा की रोकथाम एवं निराकरण में पंचायती राज संस्थाओं और अन्य हितधारक, जैसे – आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम., महिला शक्ति समूह, युवा, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता संस्थाओं की सक्रिय भूमिका स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

स म र्थ न

सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट (समर्थन)
प्रधान कार्यालय : 36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल–462016
ई–मेल info@samarthan.org, **वेबसाइट** – www.samarthan.org